

परिषद द्वारा संस्थाओं को हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की परीक्षाओं हेतु निर्धारित मानक/शर्तें।

विनियम-3(क)

किसी संस्था द्वारा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्विवार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर(मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ) आवेदन सम्यक रूप से वांछित प्रमाण-पत्रों सहित आन लाइन भरा जायेगा। आन लाइन आवेदन पत्र उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो,के पूर्ववर्ती वर्ष की 30 सितम्बर (बिना विलम्ब शुल्क के) तक स्वीकार किया जायेगा। 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ आन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। 31 अक्टूबर के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3(ख)

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित तिथियों के अनुसार मान्यता के आवेदन-पत्रों की सूची,जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदित परीक्षा वर्ष तथा हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/विषय का उल्लेख हो,संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को आन लाइन उपलब्ध कराया जायेगा:-

- 1- 30 सितम्बर तक प्राप्त आवेदन-पत्रों की सूची- 10 अक्टूबर तक
- 2- 31 अक्टूबर तक प्राप्त आवेदन-पत्रों (विलम्ब शुल्क सहित) की सूची- 10 नवम्बर तक
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संस्था का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या एवं संस्तुति प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर।

(ग) मान्यता प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा,जब तक कि उसके साथ सरकारी कोषागार में आवेदन शुल्क जो निम्नलिखित होगा,जमा किए जाने के साक्ष्य स्वरूप मूल कोषागार चालान न लगा हो-

आवेदन शुल्क निम्नांकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायेगा:-

“0202-शिक्षा खेलकूद,कला तथा संस्कृति

01- सामान्य शिक्षा

102-माध्यमिक शिक्षा

10- मान्यता शुल्क”

- (एक) प्रथमबार हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए मान्यता के निमित्त- 10,000 रुपये।
(दो) इण्टरमीडिएट परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग में मान्यता के निमित्त- 05,000 रुपये
(तीन) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए वन टाइम मान्यता के निमित्त- 10,000 रुपये प्रतिवर्ग।
(चार) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए किसी अतिरिक्त विषय की मान्यता के निमित्त- न्यूनतम 5,000 रुपये के अधीन रखते हुए 2,500 रुपये प्रति विषय।
(पांच) विलम्ब शुल्क:- **01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर** तक-5,000 रुपये।
(छः) राजकीय कोषागार में जमा शुल्क का कोष पत्र का चालू वित्तीय वर्ष का होना आवश्यक होगा।
(घ) अपूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

(ड) राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं को आवेदन से छूट रहेगी।

(च) हाईस्कूल के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु कोई आवेदन-पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व निदेशक से प्रशासन योजना अनुमोदित न कर दी गई हो।

4(क)

विनियम-3 के खण्ड क के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित समिति के माध्यम से संस्था की भूमि एवं भवन का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा:-

1- जिला विद्यालय निरीक्षक - अध्यक्ष

2- सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी - सदस्य

3- जनपद के राजकीय इण्टर कालेज अथवा राजकीय बालिका इण्टर कालेज के प्रधान - सदस्य

उक्त जांच समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक आवेदन पत्र पर मान्यता के लिये संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि तक आन लाइन प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर अपनी आख्या एवं संस्तुति करेगा और उसे परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव के पास आन लाइन प्रेषित करेगा। तथा उसकी एक प्रति(Hard copy) समस्त अभिलेखों सहित भी प्रेषित करेगा। आवेदन पत्र की एक प्रति (Hard copy)अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगा।

(ख) निरीक्षक द्वारा केवल उन्हीं संस्थाओं के मान्यता आवेदन-पत्र स्वीकार किए जायेंगे जो परिषद् विनियमों/मानक/शर्तों के प्रावधानों के अनुकूल पूरित होंगे तथा जिनके साथ संस्था के प्रबन्धक द्वारा दिया गया शपथ-पत्र संलग्न होगा। अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण अथवा मानक के विपरीत भरे गए आवेदन-पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

(ग) विखण्डित।

(5) संस्था द्वारा मान्यता के लिए आवेदन-पत्र में निम्नलिखित विवरण साक्ष्य सहित प्रस्तुत करेंगे तथा प्रत्येक विवरण पर निरीक्षण अधिकारी अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति देंगे:-

(1) जिस विकास खण्ड में विद्यालय खोलने हेतु मान्यता का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है उस विकास खण्ड के कुल हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों की संख्या।

(2) प्रबन्ध समिति का संविधान, यदि कोई हो।

(3) प्रबन्धक/मंत्री अथवा पत्र व्यवहार करने वाले व्यक्ति का नाम,जैसी स्थिति हो।

(4) परीक्षा अथवा परीक्षायेँ जिसके लिए मान्यता अपेक्षित है।

(5) शिक्षण के वर्ग/विषय अथवा विषयों के नाम,संस्था जिनकी व्यवस्था करना चाहती है।

(6) संस्था हेतु उपलब्ध भूमि भवन तथा कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था जिसके साथ भूमि/भवन/क्रीडास्थल विद्यालय/समिति ट्रस्ट के नाम होने का निजी स्वामित्व के संबंध में रजिस्ट्री (बैनामा/दानपत्र) की प्रमाणित छायाप्रति तथा खतौनी,जो भू-राजस्व अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो,संलग्न करना अनिवार्य होगा।

समिति/ट्रस्ट द्वारा विद्यालय को प्रदत्त भूमि का रकबा(क्षेत्रफल सहित) का प्रस्ताव एवं शपथ-पत्र(सक्षम अधिकारी द्वारा जो नोटरी द्वारा मूल रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व में मान्यता प्राप्त सहायता एवं असहायता प्राप्त विद्यालय को यथेष्ट प्रमाण भूमि/भवन के संबंध में प्रस्तुत करना होगा।

नोट-नगर क्षेत्र/टाउन एरिया/कैन्टोनमेंट बोर्ड के विद्यालयों के संबंध में निजी भूमि का खसरा सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र क्षेत्रफल सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (6)(क) मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था का संचालन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अधीन गठित सोसाइटी अथवा पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा किया जा सकता है। जिन संस्थाओं का संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा, उनमें ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा संस्था को संचालित करने के लिए विभाग द्वारा अनुमोदित प्रशासन योजना के अधीन प्रबन्ध समिति के गठन हेतु अपने स्तर से पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित किया जायेगा, किन्तु ऐसे नामित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को संस्था के संदर्भ में ट्रस्ट की मूल भावना के विपरीत कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा।
- ** (ख) जिन संस्थाओं को परिषद द्वारा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अधीन मान्यता प्रदान की गई है, उनकी प्रबन्ध समिति की आम सभा की सहमति से सोसायटी को ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है इसके लिये आम सभा के कुल सदस्यों में से तीन चौथाई सदस्यों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इस निमित्त उन्हें सोसायटी से ट्रस्ट के नाम रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।
- ** (ग) प्रदेश में आवास विकास परिषद अथवा विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित अथवा संचालित किये जाने वाले विद्यालयों को सोसायटी अथवा ट्रस्ट के माध्यम से मान्यता प्रदान की जा सकती है। विद्यालय की सोसायटी यदि यह उचित समझती है कि ट्रस्ट के माध्यम से विद्यालय को संचालित करने में सुविधा होगी तो सोसाइटी की आम सभा के 3/4 सदस्यों की लिखित सहमति से सोसायटी को ट्रस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। इस निमित्त उन्हें सोसायटी से ट्रस्ट के नाम भू खण्ड का दुबारा रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।

6(घ)

नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा अन्य शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक मशीन तथा संस्था के प्रत्येक कक्ष में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाना अनिवार्य होगा जिसका प्रमाण पत्र स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा पृथक से दिया जायेगा।

- (7) प्राभूत कोष तथा सुरक्षित कोष यथानिर्दिष्ट जमा एवं बन्धक होने का प्रमाण।
- (8) प्रत्येक कक्षा अथवा कक्षा के खण्ड में छात्रों की संख्या।
- (9) संस्था के भवन का फोटो जो चारों दिशाओं से लिया गया हो।
- (10) मानक के अनुसार साज-सज्जा, उपकरण तथा पुस्तकालय की व्यवस्था।
- (11) मान्यता हेतु आवेदन करने वाले संस्था के पास भवन के चारों ओर चहारदीवारी होना आवश्यक होगा।
- (12) मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम -1987 की धारा 7 कक के प्रावधानों को पूर्णतया अंगीकार करने तथा विद्यालय में पठन-पाठन हेतु शिक्षण की व्यवस्था स्वयं करने का प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (13) संस्थाओं को हाईस्कूल नवीन के साथ इण्टरमीडिएट नवीन मान्यता प्रदान की जायेगी जिसमें संस्था को वर्गवार इण्टर नवीन अथवा वन टाइम वर्ग की शर्तों को पूर्ण करने के आधार पर ही एक साथ प्रदान की जायेंगी।
- (14) निरीक्षक नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था का स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा निरीक्षण के समय विद्यालय भवन के चारों दिशाओं के सम्मुख खड़े होकर फोटों खिंचवायेगा, जिसकी प्रति

निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न की जायेगी। निरीक्षण के समय संस्था की चहारदीवारी की फोटो भी दी जाय।

(15) संस्था के प्रबन्धक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रारूप में दस रुपये के स्टैम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र दिया जाना होगा-

मैं(पूरा नाम).....

आत्मज.....प्रबन्धक विद्यालय का नाम... ..शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूँ कि संस्था को आवेदितकी मान्यता प्रदान करने हेतु मेरे द्वारा जो भी साक्ष्य/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, वे सभी सत्य हैं। संस्था का प्रयोग छात्रों के पठन-पाठन के लिए ही किया जायेगा। मान्यता प्राप्त होने पर विभाग/परिषद् के निर्देशों/विनियमों का पालन किया जायेगा। आवेदित वर्ग/विषय की कक्षाएँ मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही संचालित किये जायें तथा भवन/भूमि का परिवर्तन कदापि नहीं किया जायेगा। आवेदन-पत्र के साथ संलग्नकों अथवा आवेदन-पत्र में अंकित विवरण/साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर परिषद्/शासन द्वारा प्रदत्त की गई मान्यता को प्रत्याहरित किया जा सकता है तथा मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो विधिक कार्यवाही की जायेगी, मुझे मान्य होगी।

(ह0) प्रबन्धक

संस्था का पूरा नाम तथा पता

(16) मान्यता आवेदन-पत्र में संस्था द्वारा जिन अभ्यर्थियों के पठन-पाठन के लिए मान्यता आवेदित हो का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा संस्था में उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया जायेगा जिन अभ्यर्थियों के अध्ययन/अध्यापन के लिए मान्यता प्राप्त हो गई। प्रदत्त मान्यता से इतर अभ्यर्थियों का संस्था में प्रवेश अनियमित होगा तथा संस्था के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही निरीक्षण अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(17) संस्था को इण्टरमीडिएट स्तर की मान्यता सीधे नहीं दी जायेगी।

(18)(अ) संस्थाओं को हाईस्कूल की नवीन मान्यता वन टाइम निम्नवत् प्रदान की जायेगी:-

(क) जूनियर स्तर पर स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को हाईस्कूल की वनटाइम नवीन मान्यता प्रदान की जायेगी, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के प्रावधानों के अधीन होगी।

(ख) परिषद द्वारा संस्थाओं को सीधे हाईस्कूल की नवीन मान्यता कक्षा-6 से कक्षा-10 तक प्रदान की जायेगी तथा यह विद्यालय इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के प्रावधानों के अधीन हाईस्कूल का भाग माने जायेंगे। ऐसे विद्यालयों में जूनियर कक्षाओं(कक्षा-6 से 8 तक) के लिये कक्षा-कक्ष एवं एक जूनियर प्रयोगशाला का होना अनिवार्य होगा।

(ग) माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल कक्षा-6 से 10 तक मान्यता प्राप्त एवं संचालित विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(घ) वर्ष-1991 के उपरान्त जिन संस्थाओं को सीधे हाईस्कूल (कक्षा-9-10) की मान्यता परिषद द्वारा प्रदान की गयी है, उन विद्यालयों में जूनियर कक्षाओं के संचालन हेतु लगे प्रतिबन्ध को समाप्त समझा जाय।

(ङ) पूर्व में परिषद द्वारा सीधे हाईस्कूल की नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को जूनियर हाईस्कूल(कक्षा-6 से 8 तक) की कक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त करनी आवश्यक

होगी, जिसकी सूचना परिषद में देनी अनिवार्य होगी। ऐसे विद्यालयों में जूनियर स्तर तक (कक्षा-6 से 8) के मान्य छात्र संख्या के अनुसार कक्षा-कक्ष एवं जूनियर स्तर के प्रयोगशाला का होना अनिवार्य होगा किन्तु ऐसे विद्यालयों में प्राइमरी कक्षाएँ मान्य एवं संचालित नहीं होगी।

(ब) इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता सर्वप्रथम दस विषयों (अनिवार्य विषय हिन्दी सहित) में प्रदान की जायेगी। इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु शर्तें पूर्ण करने की दशा में एक या इससे अधिक वर्गों में एक साथ मान्यता प्रदान की जा सकती है।

(19) विद्यालय को एक बार में इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता उन समस्त वर्गों में दी जा सकती है, जिनके लिए वह अपेक्षित शर्तों की पूर्ति करता हों।

(20) जिला विद्यालय निरीक्षक 31 जनवरी तक प्राप्त समस्त मान्यता आवेदन-पत्रों पर अपनी निरीक्षण आख्या परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को उसी वर्ष की फरवरी तक प्राप्त करायेंगे।

20(अ) परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक मान्यता के समस्त प्रकरणों का निस्तारण प्रत्येक दशा में करा लिया जायेगा।

(21) जिन संस्थाओं को परिषद्/शासन द्वारा सशर्त मान्यता (प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ) प्रदान की गई है, ऐसी संस्थाओं द्वारा अगली कक्षाओं/वर्ग/विषय के मान्यता आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, जब तक शासन/परिषद् द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों की पूर्ति न कर दी गयी हो।

(22) संस्था मान्यता आवेदन-पत्र के संबंध में निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांगी गई समस्त सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत करेगी।

(23) उन विद्यालयों की मान्यता के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा, जहाँ शासकीय अनुदान का दुरुपयोग किया जा रहा हो, अनुशासनहीनता होने की कुख्याति हो तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना की जाती हो।

5(24) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट (नवीन अथवा वर्ग अथवा विषयों) कक्षाओं की मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं को अन्य शर्तों के साथ-साथ निम्नांकित शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा, जिसका उल्लेख निरीक्षण अधिकारी अपनी निरीक्षण आख्या में विशेष रूप से करेंगे :-

(क) विद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया जाय। सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय।

(ख) विद्यालय में आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जाय। सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय।

(ग) विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जाय। यदि शैक्षिक दृष्टि से इन्हें रखा जाना अनिवार्य हो तो इन्हें सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(घ) अग्निशमन उपकरणों तथा सुरक्षा उपायों से विद्यालय स्टाफ को अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से प्रकाशित कराया जाय। सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय।

(ङ) निरीक्षण अधिकारी द्वारा अग्निशमन यंत्र तथा भवन की दृढ़ता एवं सुरक्षा उपायों का प्रमाण-पत्र केवल समुचित जाँच के उपरान्त ही दिया जाय। दोषी पाये गये निरीक्षण अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी।

(6) कोई अन्य सूचना जो परिषद् द्वारा आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में मांगी जाय, संस्था निरीक्षण प्राधिकारी के माध्यम से परिषद् को प्रस्तुत करेगी।

- (7) निरीक्षक अपनी आख्या में संस्था को मान्यता दी जाय अथवा नहीं,का स्पष्ट उल्लेख करें। साथ ही आख्या में यह भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी क्षेत्र अथवा टाउन एरिया का है। निरीक्षण अधिकारी आख्या की प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे।
- (8) संस्थाओं को मान्यता हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनों माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति के आधार पर शिक्षण हेतु प्रदान की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी हिन्दी माध्यम से इतर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण हेतु कक्षा कक्ष एवं योग्य अध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है।
- (9) परिषदीय परीक्षाओं के प्रयोजन हेतु विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्तें होगी:-
- (अ) हाईस्कूल नवीन मान्यता वनटाइम।
- (क) **अनिवार्य शर्तें-**
- 1- **पंजीकरण**-समिति का पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।
 - 2- **प्रशासन योजना**-विद्यालय की प्रशासन योजना सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है।
 - 3- **प्राभूत कोष**- प्राभूत कोष के रूप में 15,000-00 रुपये केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षण अधिकारी के पद नाम में बन्धक होना अनिवार्य होगा। नये विद्यालय की मान्यता हेतु प्राभूत कोष अचल सम्पत्ति के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।
 - 4- **सुरक्षित कोष**-सुरक्षित कोष के रूप में 3000-00 रुपये केवल विद्यालय के नाम जमा तथा निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बन्धक होना अनिवार्य होगा।
 - 5- **भवन**-संस्था के पास भवन के लिये निम्नलिखित माप के लिन्टर्ड पक्के कक्ष होंगे-
 - (क) 8×6 मीटर या 48 वर्गमीटर के पांच शिक्षण कक्ष।
 - (ख) 6×5 मी0 या 30 वर्गमीटर के एक कक्ष वैकल्पिक विषय हेतु।
 - (ग) 4×3 मी0 माप के दो प्रशासकीय कक्ष।
 - (घ) 9×6 मी0 मीटर या 54 वर्गमीटर माप के तीन प्रयोगशाला(जूनियर,गृहविज्ञान एवं विज्ञान) कक्षा का होना अनिवार्य होगा।
 - (ङ) 6×5 मी0 या 30 वर्ग मीटर माप का संगीत,सिलाई,कला,कृषि तथा वाणिज्य आदि के लिये एक कामन कक्ष होना अनिवार्य है।
 - (च) 8×6 मी0 या 48 वर्ग मीटर माप का पुस्तकों से युक्त पुस्तकालय हेतु एक कक्ष।
- भूमि** - विद्यालय/समिति/ट्रस्ट के नाम जिस पर विद्यालय भवन बना हो,उसका क्षेत्रफल/(एरिया) निम्नवत् होगा:-
- 1-शहरी क्षेत्र(नगर निगम/नगरपालिका/कैन्टूनमेंट/टाउन एरिया) में न्यूनतम 650 वर्गमीटर,जिसमें 162 वर्गमीटर क्रीडास्थल होगा। क्रीडास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है,परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीडास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो,अर्थात विद्यालय की भूमि तथा क्रीडास्थल की भूमि सड़क के आर-पार न हो।

2—ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग मीटर जिसमें 648 मीटर भूमि का क्रीड़ास्थल होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी० की दूरी की परिधि में भी हो सकता है,परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो,अर्थात् विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर-पार न हो।

टिप्पणी—पूर्व में विद्यालयों को परिषद द्वारा मान्यता तत्समय प्रचलित जिन नियमों/विनियमों के अन्तर्गत प्रदान की गयी है,उन विद्यालयों की भूमि/क्रीड़ास्थल वर्तमान मानक के अनुरूप होने की दशा में मान्य होंगे। अर्थात् उक्त विनियम संशोधन पूर्वगामी प्रभाव से (**Retrospective Effect**) लागू माने जायेंगे।

6— **आवेदन शुल्क** — मान्यता हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क का मूल कोष पत्र संलग्न होना आवश्यक होगा।

नोट— उपर्युक्त अनिवार्य शर्तों में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

(ख) **सामान्य शर्तें:**

1— **काष्ठोपकरण:** — 200 सेट सज्जा होना अनिवार्य होगा तथा यह व्यवस्था जूनियर कक्षाओं के साथ होगी।

2— शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था छात्र संख्या के अनुरूप पूर्ण होना आवश्यक है।

3— **पुस्तकालय:** — 5,000 रुपये मूल्य के जूनियर/हाईस्कूल स्तरीय पुस्तकों (पाठ्य-पुस्तकों से इतर) का होना आवश्यक होगा।

4— **सामान्य शिक्षण सामग्री:**— जूनियर कक्षाओं के साथ हाईस्कूल स्तरीय रू० 5,000 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री होना आवश्यक होगा।

5— **विज्ञान शिक्षण सामग्री:**— जूनियर कक्षाओं के साथ रू० 20,000 की वैज्ञानिक यंत्रादि/उपकरण होना आवश्यक होगा।

6— **गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री:**— रू० 10,000 रू० मूल्य की गृह विज्ञान सामग्री होना आवश्यक होगा।

7 **संगीत,कृषि एवं सिलाई विषय के उपकरण:**— रू० 5,000 मूल्य के उपकरण होने आवश्यक होंगे।

8— **छात्र संख्या:**— जूनियर स्तर पर स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा-6,7,8 में कम से कम 150 छात्र होने आवश्यक होंगे(बालिका विद्यालयों में यह संख्या 85 से कम न होगी)।

टिप्पणी:

1— पुस्तकालय,सामान्य शिक्षण सामग्री,विज्ञान,गृह विज्ञान,कृषि एवं सिलाई विषय हेतु **सामग्री/उपकरण** का सत्यापन निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा अथवा इतनी ही धनराशि अलग-अलग मद में केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पदनाम में बन्धक होने पर ही स्वीकार होगा।

2— निरीक्षक द्वारा विद्यालय के निरीक्षणोपरान्त लगाये गये समस्त प्रमाण निरीक्षक द्वारा स्वयं प्रमाणित होना अनिवार्य होगा।

(ब) **इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग(केवल दस विषयों में) तथा अतिरिक्त विषय हेतु**

(क) **अनिवार्य शर्तें:**—

1— पंजीकरण समिति सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

2— हाईस्कूल की मान्यता की अनिवार्य शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक होगा।

भवन:—

(क) प्रत्येक वर्ग के लिए (कक्षा 11 व 12 के लिए) 8 मी0×6 मी0 या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष होने आवश्यक होंगे। बालिका विद्यालयों के लिए कक्षा कक्षों की माप 8 मी0 × 5 मी0 या 40 वर्ग मीटर मान्य होगी।

(ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर का एक वैकल्पिक कक्ष होना आवश्यक होगा।

(ग) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप की प्रयोगशाला प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय हेतु होना आवश्यक होगा।

(घ) कृषि वर्ग हेतु 1 एकड़ भूमि केवल विद्यालय के नाम होना अनिवार्य होगा।

(ङ) विज्ञान एवं कृषि वर्ग हेतु प्रयोगशालायें कामन होंगीं।

3— प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोष: इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु प्राभूत कोष 5,000/— तथा सुरक्षित कोष 2,000/— (हाईस्कूल के अतिरिक्त) विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पद नाम में बन्धक होना अनिवार्य है।

4— विखण्डित।

(ख) सामान्य शर्तें:

(1) छात्र संख्या— इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु हाईस्कूल के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र संख्या एवं उप विभाग का विवरण आवश्यक होगा किन्तु यह प्रतिबंध हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की एक साथ मान्यता हेतु आवेदित प्रकरणों पर लागू नहीं होगा।

2— शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक होगा।

3— **काष्ठोपकरण—** कक्षा 11 व 12 के प्रत्येक वर्ग के लिए 80 सेट सज्जा हाईस्कूल के छात्र संख्या के अतिरिक्त होना चाहिए। वैज्ञानिक वर्ग के प्रत्येक विद्यालय के लिए तीन-तीन प्रयोगात्मक मेजें होना आवश्यक है।

4— **पुस्तकालय**—इण्टरमीडिएट स्तर के 5,000/— मूल्य की पुस्तकें (पाठ्य-पुस्तकों से इतर) प्रत्येक वर्ग के लिए होना आवश्यक होगा।

5— **सामान्य शिक्षण सामग्री** — इण्टरमीडिएट स्तर हेतु 2,000/— रु0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।

6— **विज्ञान उपकरण** — इण्टरमीडिएट वैज्ञानिक वर्ग हेतु 25,000/— रु0 मूल्य के विज्ञान उपकरण होना आवश्यक होगा।

7— **गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री**— इण्टरमीडिएट स्तर हेतु 5,000/— रु0 मूल्य की सामग्री होना आवश्यक होगा।

8— **कृषि उपकरण**— इण्टरमीडिएट कृषि हेतु 10,000/— रु0 के **उपकरण/कृषि** यंत्रादि होने आवश्यक होंगे।

9— कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

नोट:— इण्टरमीडिएट अतिरिक्त विषय/विषयों में मान्यता हेतु भूमि के स्वामित्व, प्राभूत एवं सुरक्षित कोष के साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

(स) **इण्टरमीडिएट नवीन (वन टाइम) हेतु (मानविकी, वैज्ञानिक, वाणिज्य एवं कृषि वर्ग) मानविकी वर्ग हेतु**

अनिवार्य शर्तें –

1– पंजीकरण – समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

2– हाईस्कूल की मान्यता की अनिवार्य शर्तों के साथ-साथ निम्नांकित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा:-

भवन:-

(क) 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6×6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होंगे।

(ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष।

(ग) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक नृत्य कला कक्ष।

(घ) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप का गृहविज्ञान, भूगोल, सैन्यविज्ञान, काष्ठ शिल्प, ग्रन्थशिल्प तथा चर्मशिल्प आदि के लिए एक प्रयोगशाला अलग-अलग होना आवश्यक होगा।

(ङ) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप का एक कम्प्यूटर कक्ष जिसमें 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित विद्युत व्यवस्था जनरेटर सहित होना अनिवार्य है। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

3– प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध – इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मान्य होंगे।

नोट:- उपर्युक्त अनिवार्य शर्तों में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

सामान्य शर्तें:

1– काष्ठोपकरण- कक्षा 11 व 12 के प्रत्येक वर्ग के लिए 80 सेट सज्जा हाईस्कूल के छात्र संख्या के अतिरिक्त होना चाहिए।

2– शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।

3– पुस्तकालय- इण्टरमीडिएट स्तर के 5,000/- रु0 मूल्य की पुस्तकें (पाठ्य पुस्तकों से इतर) होना आवश्यक होगा।

4– सामान्य शिक्षण सामग्री- 2,000/- रु0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।

5– गृहविज्ञान, भूगोल, सैन्यविज्ञान, काष्ठशिल्प, ग्रन्थशिल्प तथा चर्मशिल्प- प्रत्येक विषय के लिए 5,000/- रु0 मूल्य की शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।

वैज्ञानिक वर्ग

अनिवार्य शर्तें:-

1– पंजीकरण- समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

2– हाईस्कूल की मान्यता की शर्तों के साथ-साथ निम्नांकित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा:-

भवन:-

(क) 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6×6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होंगे।

(ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष।

(ग) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कम्प्यूटर, विद्युत अभियंत्रण के तत्व/यांत्रिक अभियंत्रण के तत्व आदि के लिए अलग-अलग प्रयोगशालायें होना अनिवार्य होगा। साथ ही 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित व्यवस्था जनरेटर सहित होना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी। प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मान्य होंगे।

नोट:- उपर्युक्त अनिवार्य शर्तों में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

सामान्य शर्तें:

- 1- काष्ठोपकरण, पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होंगे।
- 2- शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।
- 3- विज्ञान उपकरण हेतु 25,000/- रुपये मूल्य का वैज्ञानिक उपकरण होना आवश्यक होगा।
- 4- प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए तीन प्रयोगात्मक मेजे होना आवश्यक होंगी।

वाणिज्य वर्ग:-

अनिवार्य शर्तें:

- 1- **पंजीकरण:-** समिति, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।
- 2- हाईस्कूल की मान्यता की शर्तों के साथ-साथ निम्नांकित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा:-

भवन:

(क) 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6×6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होंगे।

(ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष।

(ग) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर का एक कम्प्यूटर कक्ष अनिवार्य होगा। साथ ही 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित विद्युत व्यवस्था जनरेटर सहित होना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

(दो)- प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मान्य होंगे।

नोट:- उपर्युक्त अनिवार्य शर्तों में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

सामान्य शर्तें:

- 1- काष्ठोपकरण, पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होंगे।
- 2- शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।

कृषि वर्ग:

अनिवार्य शर्तें:

1- **पंजीकरण:** समिति, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

2- हाईस्कूल की मान्यता की शर्तों के साथ-साथ निम्नांकित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा:-

भवन:

1- 8×6 मीटर या 48 मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6×6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होंगे।

2- 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष।

3- 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप की प्रयोगशाला प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय हेतु।

4- 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप का एक कृषि कक्ष।

5- सिंचाई के साधनों से युक्त कृषि योग्य उपजाऊ भूमि न्यूनतम एक एकड़।

(दो) प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, परीक्षाफल, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मान्य होंगे।

नोट:- उपर्युक्त अनिवार्य शर्तों में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

सामान्य शर्तें:

1- काष्ठोपकरण, पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होंगे।

2- शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।

3- कृषि के उपकरण एवं यंत्रादि हेतु 10,000/- तथा वैज्ञानिक सामग्री एवं पशुशाला आदि के लिये 2,500/- रु० मूल्य के संसाधन होने आवश्यक होंगे।

4- प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए तीन प्रयोगात्मक मेजें होनी आवश्यक होंगी।

कम्प्यूटर विषय की मान्यता हेतु मानक (हाईस्कूल/इण्टर)

1- प्रयोगशाला में एक मशीन पर दो से ज्यादा छात्र कार्य नहीं करेंगे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मशीनों की संख्या उसी आधार पर निश्चित की जाय।

2- प्रयोगशाला में न्यूनतम व्यवस्था अनिवार्य रूप से निम्नवत् होगी:-

(क) प्रति विद्यालय 5 कम्प्यूटर (p3) मशीन।

(ख) एक DMP (132 कालम)।

(ग) UPS प्रति मशीन 500 VA के आधार पर होना आवश्यक है।

(घ) पाठ्यक्रम के अनुसार साफ्टवेयर की उचित व्यवस्था होना आवश्यक

है, जैसे-हाईस्कूल के लिए विन्डोज MS office G.W.basic

इण्टरमीडिएट के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त Tarbsc, c++

(ङ) प्रयोगशाला के लिए प्रति मशीन के लिए न्यूनतम 2.5 वर्ग मीटर का स्थान विद्यालय में होना अनिवार्य हैं। प्रयोगशाला साफ-सुथरी एवं पक्के कमरे में हो।

(च) प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त विद्युत एवं जनरेटर की व्यवस्था अनिवार्य है।

(छ) प्रति कम्प्यूटर मशीन पर कार्य करने हेतु एक समान मेज तथा दो स्टूल की आवश्यकता होगी।

3— छात्र संख्या के आधार पर उपर्युक्त व्यवस्थाओं का आनुपातिक वृद्धि किया जाना चाहिए।केवल कम्प्यूटर विषय को मान्यता के संदर्भ संस्था के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिये जाने पर कि उनके संस्था में कम्प्यूटर शिक्षा मानकीय अपेक्षानुसार दी जा रही है तथा इसकी पुष्टि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कर दी गयी हो तो ऐसी संस्थाओं की कम्प्यूटर विषय की मान्यता का मान्यता-पत्र निर्गत कर दिया जायेगा तथा इसकी सूचना मान्यता समिति की अगली बैठक में दी जायेगी। (राजाज्ञा संख्या-1160/15-7-2001-4 (203)/2001 दिनांक 31मार्च, द्वारा प्राविधानित)

(10) यदि परिषद सन्तुष्ट हो कि एक संस्था मान्यता का सुपात्र है तो वह सचिव को आदेश देगी कि उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की उसके द्वारा रखी जाने वाले सूची में प्रविष्ट कर लें तथा सचिव संस्था और संबंधित निरीक्षक/निरीक्षिका को सूचित करेगा कि किन-किन विषयों में किन शर्तों पर तथा किस परीक्षा के लिए उसे मान्यता प्राप्त हुई है। मान्यता उसी तिथि से दी हुई समझी जायेगी जिस तिथि से संस्थाधिकारी लिखित रूप में कक्षा संचालन की सूचना परिषद/निरीक्षक को देगा।

(11) मान्यता प्राप्त संस्था विनियमों एवं निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए निम्नांकित प्रतिबन्धों का भी अनुपालन करेगी:-

(क) परिषद द्वारा जिस तिथि से संस्था को कोई मान्यता प्रदान की जाती है, वह उस तिथि से प्रभावी मानी जायेगी जब संस्थाधिकारी कक्षा संचालन की लिखित सूचना निरीक्षक को देगा। परिषद से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही संस्थाओं द्वारा केवल मान्य वर्ग/विषय में ही छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा। संस्थाओं द्वारा अन्य किसी भी अमान्य संस्था अथवा कोचिंग संस्था के अनधिकृत छात्रों का प्रवेश लिया जाना अनियमित एवं अवैध होगा। अनधिकृत रूप से छात्रों का प्रवेश लेने वाली दोषी संस्थाओं को निम्नांकित प्रकार से दण्डित किया जा सकेगा:-

(अ) अमान्य वर्ग/विषय में प्रवेश लेने वाली संस्थाओं से आर्थिक दण्ड के रूप में ऐसी धनराशि वसूल की जायेगी, जो राज्य सरकार निर्धारित करे।

(ब) अनियमित एवं अनधिकृत रूप से छात्रों का प्रवेश लेने वाली संस्थाओं के विरुद्ध ऐसी अन्य दण्डात्मक कार्यवाही, जिसमें मान्यता का प्रत्याहरण भी सम्मिलित होगा, भी की जा सकेगी, जिसे राज्य सरकार उचित समझे।

(स) आर्थिक दण्ड की धनराशि संस्था के प्रबंधक/प्रधानाचार्य से भू-राजस्व की भांति वसूली जायेगी।

(ख) संस्था में सभी शिक्षण कर्मी परिषद द्वारा विहित अर्हता परिषद विनियमों के अध्याय-दों के विनियम-1 के परिशिष्ट-क में विहित अर्हता के अनुसार नियुक्त होने चाहिए।

(ग) संस्था शिक्षा संहिता के ऐसे विनियमों का पालन करेगी जो परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू होते हैं तथा अधिनियम एवं विनियमों के प्राविधानों से असम्बद्ध नहीं हैं।

(घ) संस्था विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन करेगी।

(ङ) संस्था द्वारा मान्य कक्षाये विद्यालय परिसर के अन्दर ही चलाई जायेगी।

(च) संस्था मान्य वर्ग/विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग अथवा विषय में कक्षाये संचालित नहीं करेगी और न ही ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करायेगी। केवल मान्य वर्ग/विषयों की कक्षाये ही संचालित की जायेगी।

(छ) छात्र संख्या में वृद्धि होने पर नये अनुभाग खोलने के पूर्व कक्षा-कक्ष, काष्ठोपकरण एवं अन्य शिक्षण सामाग्रियों की अपेक्षित व्यवस्था की जायेगी।

(ज) संस्था परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में (परिषद के संकलन एवं मूल्यांकन कार्य आदि सम्मिलित हैं) अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगी तथा परिषद/विभाग द्वारा किसी अधियाचन पर अपने शिक्षक,भवन एवं उपस्करण आदि को परिषद के अधीन प्रस्तुत करेगी तथा परिषद द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन करेगी।

(झ) जब तक कि शासन द्वारा किसी मामले विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा आदेश न दिये जाये, वह किसी प्रतिद्वन्द्वी परीक्षा (हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट) के लिये परीक्षार्थियों को तैयार नहीं करेगी और न उनमें बैठने देगी,जबकि उसी प्रकार की तथा समान स्तर की परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाती हो। यह शर्त मान्यता प्राप्त आंग्ल भारतीय विद्यालयों के सम्बन्ध में इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा पर लागू नहीं होगी।

(ञ) जिन संस्थाओं द्वारा प्राभूत के रूप में अचल सम्पत्ति जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम में बन्धक है ऐसी अचल सम्पत्ति का विक्रय अथवा किसी अन्य को हस्तान्तरित सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

(ट) प्रदेश के सभी हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं में बालक/बालिका अभ्यर्थियों के प्रवेश लिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। अर्थात् प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बालक तथा बालिका अभ्यर्थियों का प्रवेश विद्यालय की धारण क्षमता एवं मान्य कक्षाओं के अनुरूप लिया जा सकता है। **नोट**—बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी,बालिकाओं के प्रवेश के उपरान्त ही रिक्त सीटों पर बालकों के प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।

(ठ) परिषदीय परीक्षाओं में सामूहिक नकल/प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग करने की दोषी पायी गयी किसी भी संस्था की मान्यता परिषद/शासन द्वारा प्रत्याहरित की जा सकती है।

(ड) संस्था द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने अथवा परिषद/विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने अथवा परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में किसी गम्भीर अनियमितता बरतने का दोषी पाये जाने पर संबंधित संस्था की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ढ) हाईस्कूल नवीन (वनटाइम) अथवा इण्टरमीडिएट नवीन वर्ग की मान्यता प्राप्त विद्यालय से लगातार दो वर्ष तक कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते अथवा कक्षाएँ संचालित नहीं करते हैं तो विद्यालय के प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि इण्टर वनटाइम अथवा अतिरिक्त वर्ग अथवा मान्य वर्गों के वैकल्पिक विषयों की मान्यता पर उक्त प्राविधान लागू नहीं होगा।

(ण) विखण्डित।

(त) छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी वर्ग में प्रदत्त मान्यता के वैकल्पिक विषयों में जिसमें शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला,शिक्षण सामग्री,साज-सज्जा आदि की अतिरिक्त आवश्यकता न हो, एक या एक से अधिक वैकल्पिक विषयों का उसी वर्ग के अन्तर्गत समान वैकल्पिक विषय/विषयों में परिवर्तन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव द्वारा किया जा सकता है परन्तु ऐसे विषय/विषयों के परिवर्तन की अनुमति मान्यता पत्र निर्गत होने के एक वर्ष तक ही प्रदान की जा सकती है।

(थ) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था को परिषद नियम संग्रह/पाठ्य विवरण,निदेशक,राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0,इलाहाबाद से प्राप्त कर निर्धारित पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम की अद्यतन जानकारी रखना आवश्यक होगा।

(द) मान्यता प्राप्त संस्था,विद्यालय में पठन-पाठन एवं अन्य सहपाठ्यगामी क्रियाकलापों का स्वस्थ वातावरण के निर्माण में सक्रिय रहेगी तथा विद्यालय के छात्रों का परीक्षाफल उन्नत करने के दिशा में सदैव तत्पर रहेगी।

(ध) जिन संस्थाओं का परिषद/शासन द्वारा सर्शत मान्यता प्रदान की गयी है ऐसे विद्यालयों को निर्धारित शर्तों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करना अनिवार्य होगा। शर्तों के निर्धारित अवधि में पूरा न करने की दशा में संस्था की मान्यता प्रत्याहरित की जा सकती है अथवा निलम्बित की जा सकती है।

11(न) मान्यता प्राप्त संस्थायें उपर्युक्त प्रतिबंधों के अधीन रहते हुये निम्नांकित शर्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित करेंगी :-

- (1) नये भवनों का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया जाय। तदनुसार पुराने भवनों का समय-समय पर आवश्यकतानुसार जीर्णोद्धार कराया जाय।
- (2) विद्यालय में आवश्यकतानुसार छः माह के भीतर अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जाय।
- (3) विद्यालय में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जाय। यदि शैक्षिक दृष्टि से इन्हें रखना आवश्यक हो तो सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- (4) अग्निशमन उपकरणों तथा सुरक्षा उपायों से विद्यालय स्टाफ को जनपद के अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाय।
- (5) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। अनुपालन न करने की दशा में विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।
- (6) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आवेदित नवीन मान्यता के प्रकरणों पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा। जब तक संस्थायें उक्त शर्तों का अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर देती।
- (7) निरीक्षण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भवनों की दृढ़ता तथा सुरक्षा उपायों का समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा तथा उक्त शर्तों के अनुपालन आख्या संस्तुति सहित शिक्षा निदेशक(मा0) को प्रेषित की जायगी। दृढ़ता एवं सुरक्षा का प्रमाण-पत्र केवल समुचित जांच के उपरान्त ही दिया जाय। दोषी पाये गये निरीक्षण अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(उक्त संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे)

12- कोई संस्था, जिसे परिषद द्वारा हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परिषद की पूर्वानुज्ञा के बिना और तब तक बन्द नहीं किया जायेगा, जब तक कि बन्द किए जाने के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम एक वर्ष पूर्व लिखित नोटिस, जिसमें संस्था को बन्द करने का कारण उल्लिखित किया जायेगा, परिषद के सचिव को और उसकी एक प्रति निदेशक को रजिस्ट्री डाक से न भेज दी जाय। परिषद संस्था को ऐसी शर्तों पर बन्द किये जाने और संस्था के अभिलेख को किसी अन्य संस्था या प्राधिकारी को, जिसे वह उचित समझे, अन्तरित किए जाने की अनुज्ञा दे सकती है।

13(क) जब निदेशक अधिनियम की धारा 16-घ के खंड की उपधारा(3) के अन्तर्गत किसी संस्था का मामला परिषद को उसकी मान्यता के प्रत्याहरण के लिए विचारार्थ भेजता है, तो परिषद प्रबन्धक को कारण बताने को कहेगी कि उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाय।

(ख) विनियम 13(क) के अनुसार परिषद द्वारा प्रबन्धक को निर्गत कारण बताओं नोटिस का उत्तर प्रबन्धक द्वारा एक माह के भीतर संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा परिषद को प्रेषित करेगा। परिषद प्रबन्धक से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा उसे संयुक्त शिक्षा निदेशक की आख्या यथास्थिति अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित करेगी। संस्था की मान्यता प्रत्याहरित होने की दशा में परिषद उस संस्था का नाम मान्यता प्राप्त सूची से

काट देगी। अथवा संस्था के प्रबंधक को चेतावनी देते हुए यह आदेश देगी कि परिषद द्वारा नियत अवधि के भीतर संस्था दोष अथवा दोषों को यदि दूर नहीं करती है, तो उसकी मान्यता प्रत्याहरित करते हुए उनका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची से काट दिया जायेगा अथवा एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबंधक का होगा।

(ग) परिषद निदेशक की संस्तुति पर किसी संस्था को मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में पुनः रख सकती है अथवा यदि संस्था की मान्यता एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में प्रत्याहरित की गई थी तो पुनः उन विषयों में अभ्यर्थियों को तैयार करने का अधिकार दे सकती है।

14— प्रत्येक संस्था निरीक्षण अधिकारी द्वारा गठित पैनल द्वारा अपने विद्यालय के [निरीक्षण/आकस्मिक](#) निरीक्षण के लिए तैयार रहेगी। निरीक्षण अधिकारी पैनल निरीक्षण हेतु जनपद स्तर पर उपलब्ध अवकाश प्राप्त संस्थाओं के प्रधान/ अध्यापकों, शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों का पैनल गठित करेगा। एक पैनल में सदस्यों की संख्या संयोजक सहित तीन से पांच हो सकती हैं। पैनल निरीक्षण के समय संस्था द्वारा समस्त अभिलेख निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जायेंगे। पैनल निरीक्षण की आख्या यथाशीघ्र परिषद/विभाग को विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

15— जिला विद्यालय निरीक्षक, निरीक्षण के समय पूर्व में प्राप्त संस्था के फोटो के अनुसार भवन के समक्ष खड़े होकर अपना तथा भवन का फोटो खिचवाकर अपनी आख्या के साथ संलग्न करेंगे, जिससे पूर्व फोटो का सत्यापन हो सके।

16— संस्थाओं द्वारा जिन ट्रेड विषयों का संचालन किया जायेगा, उसकी प्रथम से मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं होगी। संस्था सम्बन्धित ट्रेड विषय में स्वतः मान्य माने जायेंगे। संस्था को इस निमित्त कोई शासकीय अनुदान देय नहीं होगा।